



Neutral Citation No.-2026:AHC:10221

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-37452 वर्ष 2025

यूसुफ उर्फ लंबू आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुधीर कुमार अग्रवाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आज दायर पूरक हलफनामा अभिलेखों पर लिया जाता है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार अग्रवाल और राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के मामले अपराध संख्या-37, भ०द०वि० की धारा 302, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान थाना-यमुनापर, जिला: मथुरा में जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, सुनील को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2024 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-37769 में पारित दिनांक 3.6.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त के बराबर है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।



5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक को सौंपे गए आपराधिक इतिहास को हलफनामे में समझाया गया है। आवेदक 3.5.2024 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

6. जमानत के लिए प्रार्थना का राज्य विधि अधिकारी द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है। हालांकि, सह-आरोपी के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

7. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648 के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, लंबित मुकदमे और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938 में पारित निर्णय और पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीOR/22410/2021 के साथ-साथ सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2022) 10 एस.सी.सी. 51 के मामले में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक इस मामले में जमानत पर रिहा होने का हकदार है। जमानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

9. आवेदक- यूसुफ उर्फ लंबू को, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

- i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।
- iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।



10. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 14, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)